न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या 108/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00117)

1. हंसराज पुत्र रामगोपाल जाति गुर्जर
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत
3. कैलाशचन्द पुत्र रामगोपाल जाति गुर्जर

समस्त निवासी कठानाडी तहसील बसवा जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मूल्या
2. राधाकिशन पुत्र रामकिशन
3. महेश पुत्र रामकिशन
4. वीरू पुत्र रामकिशन
5. सुन्दर पुत्र रामकिशन
6. बीना पुत्री रामकिशन
7. कमलेश पुत्री रामकिशन
8. माया पुत्री रामकिशन
9. फूला पुत्री रामकिशन
10. बाला पुत्री रामकिशन

समस्त जाति बैरवा निवासी कठानाडी तहसील बसवा जिला दौसा।

11. नवरतन पुत्र छीतरमल जाति कोली निवासी श्यालूता तहसील राजगढ जिला अलवर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 06.01.2017 जो प्रकरण प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी हंसराज व अन्य बनाम रामस्वरूप व अन्य प्रकरण संख्या 19/2016 एवं आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश दिनांक 31.12.1971 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप कुमार विजय, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री विजेन्द्र सिंह चेची, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर कोई उपस्थित नहीं।
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 10.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 06.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उप जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 31.12.1971 को ग्राम कठानाडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नं0 29/3 रकबा 5 बीघा व ख0नं0 29/4 रकबा 5 बीघा कुल 10 बीघा का आवंटन मूल्या पुत्र काल्या जाति बैरवा निवासी कठानाडी को किया गया था। अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2017 द्वारा प्रार्थी हंसराज पुत्र रामगोपाल व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाकर ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कठानाडी तहसील बसवा स्थित खसरा नं0 29/3 रकबा 5 बीघा व खसरा नं0 29/4 रकबा 5 बीघा का मूल्या पुत्र काल्या जाति बैरवा निवासी कठानाडी तहसील बसवा को दिनांक 31.12.1971 को किया गया भूमि आवंटन यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 को पारित किये गये है।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 06.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट हंसराज पुत्र रामगोपाल व अन्य द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 निरस्त कर मूल्या पुत्र काल्या जाति बैरवा निवासी कठानाडी को दिनांक 31.12.1971 द्वारा वाके ग्राम कठानाडी में स्थित भूमि खसरा नंबर 29/3 रकबा 5 बीघा व 29/4 रकबा 5 बीघा के किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आवंटन आवंटन रूल्स की अवहेलना करके फ्रॉड व धोके से किया जाना सिद्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन को बहाल रखने मे कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त आवंटन बिना उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना उद्घोषणा की तामील करवाये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना सिद्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन को बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जिस भूमि के बाबत आवंटन चाहा गया था उक्त भूमि के संबंध मे कोई जाँच नहीं की और बिना जॉच किये बिना ही आवंटन किया जाना सिद्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन को बहाल रखकर कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। आवंटन खसरा नंबर 29/3 व 29/4 में से 5 व 5 बीघा भूमि का किया गया है जबकि आवंटन हेतु आवेदन खसरा नंबर 29 मे से किया गया था आवंटन के दिन खसरा नंबर 29/3 व 29/4 नहीं थे बल्कि खसरा नंबर 29 था जो पटवारी की रिपोर्ट से भी सिद्ध है किन्तु फिर भी खसरा नंबर 29/3 व 29/4 में अस्तित्व मे नही होने के बावजूद भी उक्त नंबरों को अस्तित्व मे होना बताकर और आवंटन किया है जो कानून के विपरीत था और ऐसे आवंटन को बहाल रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। वरवक्त आवंटन उक्त भूमि बंजड बीहड भूमि थी और रिकार्ड मे बंजड बीहड भूमि दर्ज थी नियमानुसार बंजड बीहड भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है किन्तु फिर भी बंजड बीहड भूमि का आवंटन करके कानूनन गलती की है और ऐसे आवंटन को बहाल रखने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि बंजड बीहड भूमि पशुओं को चराने के काम में आती है उक्त भूमि नालों के रूप मे है व आज भी उक्त भूमि पशुओं को चराने के काम में आ रही है ऐसी भूमि का आवंटन नहीं हो सकता किन्तु फिर भी आवंटन करने में कानूनी गलती की है और ऐसे आवंटन को बहाल रखने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक कभी भी आवंटी या अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 10 का कब्जा नही रहा ना ही उक्त भूमि पर आवंटी या उनके वारिसान ने कभी कोई काश्त की है कानूनन आवंटी को आवंटन के बाद शीघ्र ही कब्जा लेकर उक्त भूमि पर काश्त करनी चाहिए थी आवंटी या उसके वारिसान ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की है बल्कि उक्त भूमि पशुओं को चराने के काम में आती है व आज भी आ रही है किन्तु ऐसे आवंटन को बहाल रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि मे से पहले भी जगजीवन पुत्र हुकम बैरवा को व तेजपाल पुत्र कंचन बैरवा को आवंटन हो गया था उक्त आवंटन को भी अधीनस्थ न्यायालय ने बंजड भूमि मानकर निरस्त किया था जिसकी नकल अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर किसी भी प्रकार गौर नहीं करके और अपने निर्णय मे कोई हवाला दिये बिना व बिना स्पष्ट फाईडिंग दिये बिना ऐसे आवंटन को बहाल रखने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन आवंटन करने से पहले आवंटन कमेटी सिफारिश करती है उसके बाद ही आवंटन अधिकारी आवंटन करता है इस प्रकरण मे आवंटन कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की बल्कि सीधा ही आवंटन कर दिया जो गलत था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार किये बिना और ऐसे आवंटन को बहाल रखने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स को खारिज नहीं करने का कोई कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया मात्र यह लिखकर कि मूल्या पुत्र काल्या को आवंटन किया गया है इसलिये हम प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स को खारिज किया जाना उचित समझते है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उठाये गये उज्रातों व प्रस्तुत की गयी कानूनी नजीरों पर कोई फाईन्डिंग नहीं देकर के निर्णय पारित कर और ऐसे आवंटन को बहाल रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है अतः निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 06.01.2017 को निरस्त फरमाकर मूल्या पुत्र काल्या जाति बैरवा निवासी कठानाडी को दिनांक 31.12.71 को वाके ग्राम कठानाडी में स्थित भूमि खसरा नंबर 29/3 रकबा 5 बीघा व 29/4 रकबा 5 बीघा के किये गये आवंटन को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 31.12.1971 को आराजी खसरा नम्बर 29/3 रकबा 5 बीघा व खसरा नम्बर 29/4 रकबा 5 बीघा का मूल्या पुत्र काल्या जाति बैरवा निवासी कठानाडी को आवंटन किया गया था। अपीलान्ट उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवंटी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता मूल्या पुत्र काल्या द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था। मूल्या पुत्र काल्या जाति बैरवा निवासी कठानाडी को दिनांक 31.12.1971 को विधिवत उद्घोषणा जारी कर भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया गया है। खसरा नम्बर 29 में से खसरा नम्बर 29/3 रकबा 5 बीघा व खसरा नम्बर 29/4 रकवा 5 बीघा भूमि का विधिवत आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मूल्या पुत्र काल्या को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मूल्या पुत्र काल्या को 45 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में खातेदारी दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 31.12.1971 को 45 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। अत्यधिक विलम्ब से आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। साथ ही अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कभी कब्जा काश्त रहा हो या वर्तमान में कब्जा हो तथा आवंटित की गई भूमि बंजड बीहड भूमि थी जिसका कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मूल्या पुत्र काल्या जाति बैरवा को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 31.12.1971 को किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। अपीलान्ट का यह कहना है कि उनका उक्त भूमि पर काफी अर्से दराज से कब्जा है। अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत आदि अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मूल्या पुत्र काल्या का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नही है, यह स्वीकार योग्य नहीं है। वकील अपीलान्ट इस तथ्य को भी साबित करने में असफल रहे है कि आवंटित की गई भूमि बंजड बीहड भूमि थी जिसका कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली में ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता मूल्या पुत्र काल्या द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट यदि भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र 14 (4) स्वीकार किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज़ किये जाने तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता मूल्या पुत्र काल्या के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 31.12.1971 को यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 को पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.01.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर